

8 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुन  
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 169/2022

दायर दिनांक-23.08.2022

- 1 सुमेर पुत्र बेगाराम
- 2 करतार सिंह पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी ढाका का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुन।  
- वादीगण

**बनाम**

1. सत्यवीर पुत्र अमरसिंह
2. मदन सिंह पुत्र नारायण सिंह
3. इन्द्र सिंह पुत्र मुकन्दाराम
4. प्यारेलाल पुत्र मुकन्दाराम
5. रामप्रताप पुत्र मुकन्दाराम
6. लालचन्द पुत्र मुकन्दाराम
7. करणीराम पुत्र सांवलराम
8. श्योपाल उर्फ गोपाल पुत्र सांवलराम
9. बोगी देवी पत्नी सांवलराम
10. मंगेजाराम पुत्र पेमाराम
11. तारावती पत्नी ईश्वरराम
12. अशोक पुत्र ईश्वरराम
13. सतवीर पुत्र ईश्वरराम
14. सुरेन्द्र पुत्र ईश्वरराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम ढाका का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुन।
15. बड़ौदा राजस्थान कौत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुमावास तहसील नवलगढ़।
16. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुन।

वकील वादी :- श्री किशोर कुमार जांगिड़

वकील प्रति. नं. :- श्री आशीष बुगालिया

-प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती  
व विभाजन**

**-:: संशोधित निर्णय ::-**

दिनांक : 07.02.2025

वाद वादी दिनांक 03.08.2024 को अंतिम रूप से डिक्री किया गया था। जिसके बाबत वकील वादी की ओर से धारा 152 सीपीसी पेश किया गया था जिसे स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ढाका का बास तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 142, 326/142, 327/142 रकबा क्रमशः 0.18, 0.36, 0.55 के संबंध में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर संशोधित आदेश पारित किया जाता है।

| क्र. स. | घोषित खातेदार का नाम  | खसरा नम्बर             | रकबा            | किस्म              |
|---------|---|------------------------|-----------------|--------------------|
| 1       | सुमेर, करतार सिंह पुत्र बेगाराम हिस्सा बराबर जाति जाट साकिन देह खातेदार | 326/142/3<br>327/142/2 | 0.119<br>0.2434 | चाही 1<br>बारानी 1 |

५ स. १ (५.१.२०२५)  
नवलगढ़

|   |  |                        |                  |  |
|---|--|------------------------|------------------|--|
| 2 | सत्यवीर सिंह पुत्र अमरसिंह, मदनसिंह पुत्र नारायण सिंह हिस्सा बराबर जाति जाट साकिन देह खातेदार  | 142<br>326/142/1       | 0.18<br>0.1833   | बारानी 1<br>बारानी 1 0.09 है0<br>चाही 1 0.0933 है0 |
| 3 | मंगेजाराम पुत्र पेमा हिस्सा 1/4, तारावती देवी पत्नी स्व0 ईशरराम, अशोक कुमार, सतवीर सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र ईशरराम हिस्सा बराबर 1/4 बोगीदेवी पत्नी सांवलराम, करणीराम, गोपाल पुत्र सांवरमल हिस्सा बराबर 1/4, इन्द्रसिंह, प्यारेलाल, रामप्रताप, लालचंद पुत्र मुकन्दाराम हिस्सा बराबर 1/4 (रामप्रताप हिस्सा 1/16 राहिन बीआरकेजीबी कुमावास, लालचंद हिस्सा 1/16 राहिन बीआरकेजीबी शाखा बडवासी) | 326/142/2<br>327/142/1 | 0.0568<br>0.3066 | चाही 1<br>चाही 1 0.27 है0<br>बारानी 1 0.0366 है0   |

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक संशोधित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सैनी )  
सहायक ~~फास्ट-ट्रेक~~ ~~जिला मजिस्ट्रेट~~ ~~नवलगढ~~ जिला झुन्झुनू  
(फास्ट-ट्रेक) ~~नवलगढ~~ जिला झुन्झुनू

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी :- सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 169/2022

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती  
व विभाजन

( सत्यवीर बनाम सुमेर आदि )

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

संशोधित निर्णय दिनांक 07.02.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम ढाका का बास तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 142, 326/142, 327/142 रकबा क्रमशः 0.18, 0.36, 0.55 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

| क्र. स. | घोषित खातेदार का नाम  | खसरा नम्बर             | रकबा             | किस्म  |
|---------|---|------------------------|------------------|--|
| 1       | सुमेर, करतार सिंह पुत्र बेगाराम हिस्सा बराबर जाति जाट साकिन देह खातेदार   | 326/142/3<br>327/142/2 | 0.1199<br>0.2434 | चाही 1<br>बारानी 1                                 |
| 2       | सत्यवीर सिंह पुत्र अमरसिंह, मदनसिंह पुत्र नारायण सिंह हिस्सा बराबर जाति जाट साकिन देह खातेदार   | 142<br>326/142/1       | 0.18<br>0.1833   | बारानी 1<br>बारानी 1 0.09 है0<br>चाही 1 0.0933 है0 |
| 3       | मंगेजाराम पुत्र पेमा हिस्सा 1/4, तारावती देवी पत्नी स्व0 ईशरराम, अशोक कुमार, सतवीर सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र ईशरराम हिस्सा बराबर 1/4 बोगीदेवी पत्नी सांवलराम, करणीराम, गोपाल पुत्र सांवरमल हिस्सा बराबर 1/4, इन्द्रसिंह, प्यारेलाल, रामप्रताप, लालचंद पुत्र मुकन्दाराम हिस्सा बराबर 1/4 (रामप्रताप हिस्सा 1/16 राहिन बीआरकेजीबी कुमावास, लालचंद हिस्सा 1/16 राहिन बीआरकेजीबी शाखा बड़वासी) | 326/142/2<br>327/142/1 | 0.0568<br>0.3066 | चाही 1<br>चाही 1 0.27 है0<br>बारानी 1 0.0366 है0   |

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.02.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास बुन्दुनू